ली ...न0— 142/2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

...न0 142/2022

तारीख रजू:— 29.07.2022

पीठासीन अधिकारी:— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. कौशलेन्द्र सिंह पुत्र रूपनारायण सिंह
2. नरेन्द्र सिह पुत्र रूपनारायण सिंह
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रूपनारायण सिह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपनारायणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी जौल तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. बतास्या पुत्र राजू मीना
2. ओमप्रकाश पुत्र देवफूल मीना
3. काडू पुत्र रामचन्द मीना
4. रामखिलाडी पुत्र श्यौजी जाटव
5. सूरजमल पुत्र परसादी जाटव
6. बत्तू पुत्र श्योजी जाटव

निवासी जौल तहसील टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

कलक्टर एवं उप जिला ... टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ...

उपस्थिति :— श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट (प्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक:— 28.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत बेदखली एवं पत्थर गढी का संक्षेप मे ...रण इस प्रकार है कि ग्राम जौल की आराजी ख0न0 944/0.25, 931/0.21, 934/0.08, ...7/1006/0.04, 162/0.64 है0 मे वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ... आराजी को 50 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की इस भूमि से ...वादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वादीगण के आवेदन पर वर्णित ...राजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 को किया गया है, जिसमे सीमा चिन्हित कर ...शानात कायम किये गये। लेकिन आवारा पशुओ से फसल के नुकसान पहुचाने की वजह से ...दीगण की उक्त भूमि मे पत्थर गढी होना आवश्यक है। वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान ...ने के पश्चात दिनांक 01.07.2022 व 02.07.2022 को वादीगण की भूमि ख0न0 944 रकवा ...5 है0 के सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी बतास्या, ख0न0 931 के रकवे 0.02 है0 पर सम्पूर्ण ...वे पर प्रतिवादी बतास्या, ख0न0 934 रकवा 0.08 है0 के सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी ...मप्रकाश, ख0न0 937/1006 रकवा 0.04 हे0 के सम्पूर्ण रकवा पर प्रतिवादी ... ख0न0 ...2 के रकवा 0.03 है0 पर प्रतिवादी खिलाडी, रकवा 0.01 है0 पर प्रतिवादी बत्तू ... रकवा 0.01 ... पर प्रतिवादी सूरजमल ने अवैध रूप से बिना इजाजत ... भूमि ... ...त लगा दी है वादीगण ने इनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने और ... करने पर ...ारू हो गयें इसलिये यह दावा बावत बेदखली पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ग्राम जौल की भूमि भूमि ...न0 944 रकवा 0.25 है0 के सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी बतास्या, ख0न0 931 के रकवे 0.02 ... पर सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी बतास्या, ख0न0 934 रकवा 0.08 है0 के सम्पूर्ण रकवे पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)

है0 पर सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी बतास्या, ख0न0 934 रकवा 0.08 है0 के सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी ओमप्रकाश, ख0न0 937/1006 रकवा 0.04 हे0 के सम्पूर्ण रकवा पर प्रतिवादी काडू ख0न0 162 के रकवा 0.03 है0 पर प्रतिवादी खिलाडी, रकवा 0.01 है0 पर प्रतिवादी बत्तू रकवा 0.01 है0 से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये जावे तथा वादीगण का कब्जा कराया जावे। एवं ख0न0 ख0न0 944/0.25, 931/0.21, 934/0.08, 937/1006/0.04, 162/0.64 है0 मे वादीगण का पत्थर गढी के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, पत्रावली दिनांक 19.06.2024 को जबाब मे नियत थी, प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा बार—बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। मुताबिक वादपत्र मे प्रतिवादीगण को बेदखल कर ग्रम जोल की आराजीयात ख0न0 944/0.25, 931/0.21, 934/0.08, 937/1006/0.04, 162/0.64 है0 मे मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 अनुसार पत्थर गढी करवाई जावे।

प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम जौल की आराजी ख0न0 944/0.25, 931/0.21, 934/0.08, 937/1006/0.04, 162/0.64 है0 मे वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात का तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 15.06.2022 को सीमाज्ञान किया गया है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपने पत्रांकः—404 दिनांक 18.06.2024 अनुसार अनापत्ति जाहिर की है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा कराये जाने पर मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम जौल की आराजी ख0न0 944/0.25, 931/0.21, 934/0.08, 937/1006/0.04, 162/0.64 है0 की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थरगढी करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

कार्यालय-उपजिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:07 IST
Reason: SelfAttested